


झारखण्ड सरकार
खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
(माप एवं तौल)

कार्यालय आदेश सं०. 30/17
राँची,दिनांक 24/10/17

Department of Industries, Promotion and Policy, भारत सरकार
के अनुशंसा सं० 178 के अनुपालन में विधिक माप विज्ञान के अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 15(1) के अन्तर्गत किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन को निरीक्षणोपरांत 48 घंटा के अन्तर्गत माप तौल प्रभाग के वेबसाईट www.elegalmetrology.jharkhand.gov.in पर online submit/Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

2. कार्यालय आदेश सं० 21/17 ज्ञापांक 332 दिनांक 17.07.17 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक 446 राँची, दिनांक 24/10/17

प्रतिलिपि:—संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची / उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, हजारीवाग एवं दुमका / सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान (सभी) / निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक 446 राँची, दिनांक 24/10/17

प्रतिलिपि:—निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक 446 राँची, दिनांक 24/10/17

प्रतिलिपि:—सरकार के सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
झारखण्ड, राँची